

1 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम
जितेन्द्र भंवरिया काला भाटा की ढाणी कुचामन

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 01/2025 GCMS No. 2025/13

परिवादी :-

1. श्री गणपतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमान राम खाद्यकारोबारकर्ता
फर्म -मैसर्स होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा
कुचामनसिटी।

“ परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ’


उपस्थिति :- ।

:-निर्णय :-

दिनांक :- 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री गणपतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2024 को समय 12.40 P.M. पर फर्म होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी पर पहुँचा। वहाँ पर श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमानराम खाद्यकारोबारकर्ता मिले, श्री जितेन्द्र भंवरिया को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र भंवरिया ने स्वयं को मैसर्स होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा-पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्वःहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध दही (लूज) एक प्लास्टिक कैन में लगभग 05 किलोग्राम रखा है। के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें Vertical कट लगाकर 800 ग्राम दही (लूज) खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री जितेन्द्र भंवरिया को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदा, जिसकी कीमत श्री जितेन्द्र भंवरिया को 50/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान




अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

2 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम
जितेन्द्र भंवरिया काला भाटा की ढाणी कुचामन

के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। जिस पर श्री जितेन्द्र भंवरिया एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मालिक श्री जितेन्द्र भंवरिया को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा दही (लूज) 800 ग्राम को चौड़े मुंह की चार प्लास्टिक बोतलो में बराबर-बराबर मात्रा में डालकर उसमें 16-16 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर ढक्कन को एयर टाईट बंद कर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-3164 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ.नागौर की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. Q-3164 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं.6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियाँ एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/चिकि/एफएसएसए/जारी /2024/736 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. LS/1113/Act/2024/1145 दिनांक 22.10.2024 के अनुसार खाद्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम
जितेन्द्र भंवरिया काला भाटा की ढाणी कुचामन


कारोबारकर्ता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही (लूज) का नमूना **Substandard** होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री जितेन्द्र भंवरिया ने खाद्य पदार्थ दही (लूज) **Substandard** का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {zx} Substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from as it contain foregin fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee). the sample also contravens Regulation No. 2.3.7.(2) of food safety and standard (Prohitbition and Restrictionson sales) Regulations 2011 due to presnrnce of foregin fat, धारा 26(2)(ii) का उल्लघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की रसीद, अभिहित अधिकारी नागौर की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी नागौर द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन, संस्थित किये जाने वाले पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 03.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमानराम काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्त का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उक्त फर्म होटल धनराज देशी स्वाद कालाभाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा दही (लूज) विक्रय किया गया, वह सही नहीं है। जिसकी पुष्टि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से साबित होती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं. LS/1113/Act/2024/1145 दिनांक 22.10.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The sample of **Dahi** bearing Code No. and Sr. No. **Q-3164** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Substandard**


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम
जितेन्द्र भंवरिया काला भाटा की ढाणी कुचामन

as not conform to the prescribed standards and provision of Food Safety and Standards (Food products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमानराम मैसर्स होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही (लूज) नमूना नं. Q-3164 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड Q-3164 वाले दही का नमूना घटिया है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एवं 58 इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :-(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार दही (लूज) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमानराम मैसर्स होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री जितेन्द्र भंवरिया पुत्र हनुमानराम मैसर्स होटल धनराज देशी स्वाद, काला भाटा की ढाणी श्रवणपुरा, उगरपुरा कुचामनसिटी पर राशि रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम
जितेन्द्र भंवरीया काला भाटा की ढाणी कुचामन

आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी